# || कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर,म0प्र0 ||

## —:: विविध आदेश ::—

क्रमांक :— 27 / कोरोना—19 / 2020 श्योपुर,दिनांक :— 15 / 04 / 2020

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस **(2019-nCOV)** के सर्वव्यापी संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु न्यायिक जिला स्थापना श्योपुर मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय विजयपुर एवं परिवार न्यायालय श्योपुर के संबंध में आगामी आदेश तक के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1— न्यायालय भवन में एकमात्र मुख्य द्वार से ही न्यसायाधीशगण, कर्मचारीगण, अभिभाषकगण, आरोपीगण, आवश्यक पक्षकारगण तथा साक्षीगण को मास्क लगाकर ही एक—एक करके प्रवेश दिया जावेगा।

2— मुख्य द्वार पर हैण्डवाश,सैनेटाईजर का उपयोग करके ही न्यायाधीश एवं कर्मचारीगण आदि प्रवेश कर सकेगें।साथ ही **"सोशल डिस्टेंसिंग" ( लगभग 6 फीट )** की दूरी बनाये रखते हुए कार्य निष्पादन करेगें।

3— रिमाण्ड हेतु पुलिस आरक्षी केन्द्र से पेश किये जाने वाले आरोपीगण की उपस्थिति संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से ही दर्ज की जावेगी, इस हेतु आरोपीगण को वी.सी. रूम में उपस्थित रखा जायेगा।

4— न्यायाधीशगण भी " सोशल डिस्टेंसिंग" को बनाये रखते हुए अथवा जहां तक संभव हो वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपना कार्य निष्पादित करेगें।

5— अभिभाषकगण भी तर्क आदि वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से वी.सी. रूम में उपस्थित रहकर कर सकेगें। अपरिहार्य कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के द्वारा तर्क करने में असमर्थ रहने पर अभिभाषकगण **मास्क लगाकर न्यायालय में "सोशल डिस्टेंसिंग" 06 फीट की दूरी से** तर्क कर सकेंगे।

6— न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व न्यायालय कक्ष के द्वार पर अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण न्यायालय के भृत्य से साबुन / सेनेटाईजर प्राप्त कर उसका उपयोग कर सकेंगे।

7— पुलिस द्वारा गिरफतार किये गये आरोपीगण को न्यायालय के आदेश पर जेल में दाखिल करने से उपूवर्स उनका मेडीकल परीक्षण कराया जाना तथा उनकी रिपोर्ट जेल अधीक्षक ाके उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यदि किन्ही कारणों से रिपोर्ट तुरन्त प्राप्त नही होती है तो उस स्थिति में जेल अधीक्षक ऐसे आरोपी को पृथक सेल में निरूद्व रखेगें तथा चिकित्सीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही करेंगे।

8— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त निर्देशों का पालन प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला नाजिर के सहयोग से सुनिश्चित करेगें तथा इस संबंध आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(8)

9— न्यायालय कक्ष में स्टॉफ भी **"सोशल डिस्टेंसिंग" ( लगभग 6 फीट )** की दूरी बनाये रखते हुये कार्य निष्पादित करेगें।

उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जावे।

**( आर0बी0गुप्ता )**
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**श्योपुर,म0प्र0।**

पृष्ठां. कमांक :761/कोरोना—19/2020 श्योपुर,दिनांकः— 15/04/2020

**<u>प्रतिलिपि :—</u>**

1— रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
2— प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर।
3— जिला दण्डाधिकारी, जिला श्योपुर।
4— पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर।
5— अधीक्षक, जिला जेल श्योपुर/ उपजेल विजयपुर।
6— अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ श्योपुर/ विजयपुर ।
7— सी0एच0एम0ओ0/सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय श्योपुर।
8— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर।
9— जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय श्योपुर।
10— सचिव/जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्योपुर।
11— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग श्योपुर/विजयपुर ।
12— ब्लॉक मेडीकल आफिसर, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र विजयपुर।
13— समस्त न्यायाधीश जिला श्योपुर/ तहसील न्यायालय विजयपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14— प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश श्योपुर।
15— अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ जिला न्यााियलय श्योपुर।
16— श्री अशोक कुमार बाथम, उपप्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय श्योपुर।
17— श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, उपप्रशासनिक अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
18— सिस्टम आफिसर/सिस्टम असिस्टेंट, कम्प्युटर सर्वर रूम श्योपुर
की ओर सभी न्यायाधीशगण को ई—मेल एवं आफिसियल वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्योपुर,म0प्र0।

## ।। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर,म0प्र0 ।।

## –:: विविध आदेश ::–

क्रमांक :–25 / कोरोना–19 / 2020 श्योपुर,दिनांक :– 15 / 04 / 2020

मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक क्यू–5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 एवं क्यू–6 दिनांक 14.04.2020 के पालन में संपूर्ण जिला श्योपुर में पदस्थ न्यायिक न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि,कोरोना वायरस (2019-nCOV) के संक्रमण की रोकथाम हेतु मान्नीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप मान्नीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जलपुर द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि **दिनांक 03.05.2020** तक सभी अधिनस्थ न्यालयों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

विशेष आकस्मिक त्वरित सुनवाई योग्य मामलों में (सिविल एवं क्रिमिनल) में कार्यालय विविध आदेश दिनांक 15.04.2020 के अनुसार वीडियो कान्फ्रेसिंग अथवा अन्य प्रकार से जैसा कि संबंधित न्यायाधीश द्वारा उचित समझा जाये, इस प्रकार सुनवाई की जा सकेगी। जिससे कि कोरोना वायरस (2019-nCOV) का संक्रमण रोका जा सके।

सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जिला श्योपुर को इस संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण मुख्यालय पर ही रहेगें और समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगें।

किसी भी अधिवक्ता अथवा पक्षकार द्वारा न्यालय से संबंधित किसी आवश्यक कार्य के संबंध में श्री महेन्द्र मांगोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से **मोबा0 नंबर 6261504882** तथा ई–मेल आई.डी. **m.mangodiya@mphc.in** पर एवं श्री अशोक कुमार बाथम, उप–प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय श्योपुर से **मोबा0 नंबर 9074885082** तथा ई–मेल आई.डी. **Ashokbatham@gmail.com** पर अथवा श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, उप–प्रशासनिक अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर से **मोबा0नंबर 9827300387** संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। **दिनांक 15.अप्रेल.2020 से दिनांक 03.05.2020** तक के लिए नियत मामलों में संबंधित पक्षकारों / अधिवक्तागण को न्यायालय खुलने पर सूचित किया जावेगा।

**( आर0बी0गुप्ता )**
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**श्योपुर,म0प्र0।**

पृष्ठां. कमांक 766 / कोरोना–19 / 2020 श्योपुर,दिनांकः– 15 / 04 / 2020

**प्रतिलिपि :–**

1– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
2– प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर।
3– जिला दण्डाधिकारी, जिला श्योपुर।
4– पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर।
5– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर।
6– विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्योपुर।
7– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजयपुर जिला श्योपुर।
8– द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर।
9– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर की ओर सुचनार्थ एवं रिमाण्ड सबंधी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10– अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक विजयपुर।
11– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक एवं ग्राम न्यायाधिकारी श्योपुर।
12– प्रथम / द्वितीय / तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो श्योपुर।
13– प्रथम / द्वितीय / तृतीय, / चतुर्थ / पंचम / छटम / सप्तम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 प्रशिक्षू न्यायाधीश श्योपुर।
14– सचिव / जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्योपुर।
15– अधीक्षक, जिला जेल श्योपुर।
16– अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ श्योपुर / विजयपुर ।
17– प्रभारी अधिकारी, नजारत / लेखा / सांख्यिकी / ग्रंथालय / मालखाना / प्रतिलिपि / अभिलेखागार / कम्प्युटर अनुभाग श्योपुर / विजयपुर ।
18– प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश श्योपुर।
19– अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ जिला न्याायलय श्योपुर।
20– श्री अशोक कुमार बाथम, उपप्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय श्योपुर।
21– श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, उपप्रशासनिक अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर।
22– सिस्टम आफिसर / सिस्टम असिस्टेंट, कम्प्युटर सर्वर रूम श्योपुर की ओर सभी न्यायाधीशगण को ई–मेल एवं आफिसियल वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्योपुर,म0प्र0।

# कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर, जिला श्योपुर (म0प्र0)

www.districtcourt.mphc.gov.in, Email- dcourtshe-mp@nic.in

phone : 07530-221419, fax : 07530-223700

जावक कमांक–757 /2020 श्योपुर, दिनांक 15.04.2020

**–:: विविध आदेश ::–**

विषय – कोरोना वायरस (COVID-19)–राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन की 15 दिन की अवधि में जिला मुख्यालय श्योपुर एवं आउट लाइंग स्टेशन विजयपुर में अत्यावश्यक न्यायिक/प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ – 1.माननीय उच्च न्यायालय का आदेश क0 क्यू–1, क्यू–2 दिनांक 22.03.2020, करिजेंडम क्यू–3 व क्यू–4, दिनांक 22.03.2020, सर्कुलर क0 क्यू–5 दिनांक 25.03.2020, उक्त सर्कुलर से संलग्न प्राप्त भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20.03.2020 और गृह मंत्रालय का आदेश क0 40–3/2020–डीएम–1/ए नई दिल्ली, दिनांक 24.03.2020 तथा मान्. उच्च न्यायालय आदेश कं. क्यू–6 दिनाक 14.04.2020
2. कार्यालय विविध आदेश दिनांक 31.03.2020।

––000––

समस्त संदर्भित आदेशों की प्रतियां माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट, जिला न्यायालय श्योपुर की वेबसाइट, श्योपुर आई0टी0 ग्रुप, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ई–मेल्स और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विषय में, कोरोना वायरस (COVID-19) – राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि में, जिला मजिस्ट्रेट, जिला श्योपुर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अंतर्गत पारित आदेश के आलोक में दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक के लिए, न्यायिक जिला स्थापना श्योपुर में, अत्यधिक महत्व/अर्जेंसी से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से आदेशित की जाती है –

1. समस्त सिविल जिला श्योपुर अर्थात जिला मुख्यालय एवं बाह्यवर्ती न्यायालय विजयपुर में दिनांक 03.05.2020 तक कोई नियमित न्यायिक कार्य नहीं होगा। उक्त अवधि में न्यायालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल मामलों में अर्जेंसी का निर्धारण जिला न्ययाधीश श्योपुर द्वारा किए जाने के उपरांत, जिन न्यायिक अधिकारी के क्षेत्राधिकार का मामला होगा, उनको सौंपा जावेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सो–मोटो रिट पिटीशन (सिविल क0 3/2020) में दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेशानुसार अपीलों और अन्य सुसंगत आवेदन पत्रों, कार्यवाहियों में विहित परिसीमा 15.03.2020 से अग्रिम आदेश तक विस्तारित की गई है। अतः उक्त प्रकरण आवेदन पत्र और अन्य कार्यवाहियां अर्जेंट प्रकृति

के व्यवहारित नहीं किए जावेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 जिन मामलों में प्रयोज्य हों, उनमें अभियोग–पत्र एवं जमानत आवेदन पत्रों की प्रस्तुति अर्जेंट प्रकृति की मानी जावेगी।

2. अन्ययतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय जमानत के अर्जेंट मामलों (प्रथम जमानत आवेदन पत्र/माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में जमानत तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र) में, निम्न तालिका अनुसार जिला मुख्यालय श्योपुर एवं बाह्य स्टेशन विजयपुर में अपर सत्र न्यायाधीशगण 01 घंटे की अवधि की बैठक **प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे (जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर द्वारा प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 11:00 बजे तक की अवधि अत्यावश्यक सेवाओं हेतु प्रतिबंध से मुक्त) के मध्य** न्यायालय कक्ष/चेम्बर में करेंगे।

| स0क0 | नाम एवं पदनाम | दिनांक | मोबाईल नंबर/ई–मेल आई0डी0 |
|---|---|---|---|
| 01. | श्री रविन्दर सिंह, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्योपुर म0प्र0 | 15.04.2020<br>17.04.2020<br>19.04.2020<br>21.04.2020<br>23.04.2020<br>25.04.2020<br>27.04.2020 | 91318–38088<br>ravinder.singh@mphc.in |
| | श्री अजय कुमार टेलर अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर | 29.04.2020<br>01.05.2020<br>03.05.2020 | 94254–11711<br>ak.tailor@mphc.in |
| 2. | श्री अजय कुमार टेलर अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर | 16.04.2020<br>18.04.2020<br>20.04.2020<br>22.04.2020<br>24.04.2020 | 94254–11711<br>ak.tailor@mphc.in |
| | श्री आर0एम0 भगवती अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर म0प्र0 | 26.04.2020<br>28.04.2020<br>30.04.2020<br>02.05.2020 | 94257–94400<br>rkm.bhagwati@mphc.in |

3. आपराधिक प्रकरणों में उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र सत्र न्यायालय के निष्पादन लिपिक श्री मनोज गुप्ता, मोबाईल नंबर 79747–07371 के समक्ष दिनांक 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30.अप्रैल 2020 एवं 01.,02 एवं 03.05.2020 को **प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य** प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र न्यायाधीश श्योपुर द्वारा कण्डिका क्‍र–2 में वर्णित अर्जेन्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामला, यदि अर्जेन्ट मामला होना पाया जाता है, तो उस मामला को वाट्यएप/वी.सी.के माध्यम से बंगला कार्यालय से सुनवाई कर उपरोक्त आवेदन पत्र, विधिवत सुनवाई हेतु संबंधित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर/विजयपुर को सौंपे जावेंगे।

4. जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की दशा में प्रतिलिपि प्रदाय की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड एवं जमानत आवेदन पत्र) के सम्पादन के दौरान ऐसे नामांकित न्यायिक अधिकारीगण संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार के सामान्य लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर निरस्ती आदेश की सत्यापित प्रति अपने हस्ताक्षर से सत्यापित कर संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को प्रदान करेंगे।

5. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 श्योपुर द्वारा अन्ययतः सुनवाई योग्य मामलों में निष्पादन लिपिक श्री पी0पी0 सिंह जादौन, मोबाईल नंबर 98263–95074 उपरोक्तानुसार जमानत आवेदन पत्र/जमानत तस्दीक आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।

6. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 श्योपुर द्वारा अन्ययतः सुनवाई योग्य मामलों में निष्पादन लिपिक श्री संजय समाधिया मोबाईल नंबर 99817–78342 उपरोक्तानुसार जमानत आवेदन पत्र/जमानत तस्दीक आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।

7. श्री रविन्दर सिंह, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्योपुर के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री आर0एम0 भगवती, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं श्री आर0एम0 भगवती अपर सत्र न्यायाधीश के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री रविन्दर सिंह विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्योपुर को दूरभाष/व्हाट्सएप/ई–मेल के द्वारा सूचित करेंगे। श्री रविन्दर सिंह के स्थान पर श्री आर0एम0 भगवती एवं श्री आर0एम0 भगवती के स्थान पर श्री रविन्दर सिंह ड्यूटी करेंगे। जिसकी सूचना जिला न्यायाधीश श्योपुर को तत्काल दी जावेगी।

8. श्री रविन्द्र गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री अनुराग खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं श्री अनुराग खरे के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री रविन्द्र गुप्ता को दूरभाष/व्हाट्सएप/ई–मेल के द्वारा सूचित करेंगे। श्री रविन्द्र गुप्ता के स्थान पर श्री अनुराग खरे एवं श्री अनुराग खरे के स्थान पर श्री रविन्द्र गुप्ता

ड्यूटी करेंगे। जिसकी सूचना जिला न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर को तत्काल दी जावेगी।

9. प्रशासनिक कार्य हेतु श्री अशोक कुमार बाथम,उप प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री विकास गाडगे,सिस्टम असिस्टेंट के मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई0डी0 निम्नानुसार अधिसूचित किए जाते हैं –

| स0क0 | नाम एवं पदनाम | मोबाईल नंबर | ई–मेल आई0डी0 |
|---|---|---|---|
| 01. | श्री अशोक कुमार बाथम, उप प्रशासनिक अधिकारी | 94257–66465 | ashokbatham@gmail.com |
| 02. | श्री विकास गाडगे, सिस्टम असिस्टेंट | 98266–86224 | vikas.gadge92@gmail.com |

ड्यूटी कर रहे न्यायिक अधिकारी के कार्य में सहयोग हेतु निष्पादन लिपिक के अलावा स्टेनोग्राफर/टाईपिस्ट एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा इस हेतु संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जा सकेगा।

प्रशासकीय सुविधा के अनुसार उपरोक्तानुसार सुनवाई हेतु नियत की गई टाइमिंग में यथोचित परिवर्तन किया जा सकेगा।

प्रकरणों के पंजीयन कार्य हेतु जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ श्री सादिक खान, मोबाईल नंबर 70006–99522 की ड्यूटी दिनांक 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30.अप्रैल 2020 को **प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य** लगाई जाती है। बाह्य स्टेशन विजयपुर में पंजीयन की व्यवस्था संबंधित न्यायिक अधिकारी करेंगे।

अर्जेंट प्रकृति के आवेदन पत्रों पर विद्वान अभिभाषक तर्क लिखित में प्रस्तुत करेंगे। मौखिक तर्क व्हाट्सएप/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/स्काइप के माध्यम से सुनाए जा सकेंगे। आवश्यक होने पर पक्षकार के साथ केवल एक ही अभिभाषक संक्षिप्त समय के लिए सुनवाई हेतु उपस्थित रह सकेंगे।

Sd-
(आर.बी. गुप्ता)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्योपुर (म0प्र0)

कृ0पृ0उ0

पृष्ठांकन कमांक 758 /2020 श्योपुर, दिनांक 15.04.2020

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर,
5. जिला दंडाधिकारी, जिला श्योपुर म0प्र0
6. पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर म0प्र0
7. प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर।
8. समस्त न्यायिक अधिकारी, श्योपुर/विजयपुर, जिला श्योपुर म0प्र0
9. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, श्योपुर/विजयपुर की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय श्योपुर म0प्र0
11. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय श्योपुर म0प्र0
12. अध्यक्ष/सचिव, जिला अभिभाषक संघ, श्योपुर/विजयपुर,
13. लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक श्योपुर/विजयपुर
14. जिला अभियोजन अधिकारी/अति0 जिला अभियोजन अधिकारी श्योपुर/विजयपुर
15. वरिष्ठ उप अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला जेल श्योपुर/सब जेल विजयपुर, जिला श्योपुर म0प्र0।

(आर.बी. गुप्ता)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्योपुर (म0प्र0)